

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

17/03/26

पत्रावली पेश हुई / वकील कम्पेपस अधिवक्ता/वकील
 प्राण का प/स 212 RT Act के परिपेक्ष्य में पत्रावली
 का अवलोकन किया गया / प्रकरण नं 97/2025
 उनवान रोडमाल बनाम मसोहरलाज के निर्णय
 दिनांक 17/03/2026 में किये गये विवेचन व विवेचन
 की दृष्टान्त में देखते हुए प्रार्थी का प्रोपर्टी
 आंशिक रूप से एबी का विभाजन है / प्रार्थी
 को तालमूलवास इस आशय कि अस्थाई
 निर्धारणा से विभाजन है कि वे ग्राम
 सामिया की वास्तुतः भूमि खण्ड 60 (संयुक्त
 सख्खोटेसी) में किसी हिस्से विशेष का भाग
 तो किसी अज्ञात व्यक्ति को बँचान या अज्ञात
 करे और ना ही हिस्सा विशेष का अज्ञात
 प्रेता को कब्जा सौंपें / दोनों लोग भाई भाई
 बँचान करे तो Right to pre-emption की दृष्टान्त
 में रहे / पत्रावली पेशल सुमाए होकर मसोहर
 का होकर मूलवास के साथ संलग्न है

[Signature]
 17/3/26

उपखण्ड अधिकारी
 पिडावा, जिला झालावाड़ (सम्भल)



मनोहरला
 झालावाड़

- 1. रोडल राज.
- 2. आई 0
- 3. राजर

प्रार्थना

माननीय

यह कि :
 से सफल
 यह कि :
 आराजी !
 हिस्सा रि
 158 जम
 कुल खर

प्रार्थी का
 कब्जा क
 प्रार्थी एवं
 सहमति,
 अधिपत्य
 इस वर्ण
 दक्षिण हि
 हिस्से आ
 नं. 01 व
 धन खर्च
 यह कि !
 नं. 01 है
 कुल खर
 कायम क
 यह कि :
 का अपने
 खातेदारों
 उपजाऊ

